(बर्तोल्त ब्रेख्त की कविता)

जनता की रोटी
इंसाफ जनता की रोटी है
वह कभी काफ़ी है, कभी नाकाफ़ी
कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद
जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है
जब बेस्वाद है, तब असंतोष।

खराब इंसाफ़ को फेंक डालो
बग़ैर प्यार के जो भूना गया हो
और बिना ज्ञान के गूंदा गया हो!
भूरा, पपड़ाया, महकहीन इंसाफ़
जो देर से मिले, बासी इंसाफ़ है!

यदि रोटी सुस्वादु और भरपेट है
तो बाकी भोजन के बारे में
माफ़ किया जा सकता है
कोई आदमी एक साथ
तमाम चीज़ें नहीं छक सकता।
इंसाफ़ की रोटी से पोषित
ऐसा काम हासिल
किया जा सकता है
जिससे पर्याप्त मिलता है।

जिस तरह रोटी की जरूरत रोज़ है
इंसाफ़ की जरूरत भी रोज़ है
बल्कि दिन में कई-कई बार भी
उसकी जरूरत है।
सुबह से रात तक, काम पर,
मौज लेते हुए
काम, जो कि एक तरह का
उल्लास है
दुःख के दिन और
सुख के दिनों में भी
लोग़ों को चाहिए
रोज-ब-रोज़ भरपूर, पौष्टिक,
इंसाफ़ की रोटी।

इंसाफ़ की रोटी
जब इतनी महत्त्वपूर्ण है
तब दोस्तों कौन उसे पकायेगा?
दूसरी रोटी कौन पकाता है?
दूसरी रोटी की तरह
इंसाफ़ की रोटी भी
जनता के हाथों ही पकनी चाहिए
भरपेट, पैष्टिक,रोज-ब-रोज।

पेज एक का शेष

ई एस आई 'बंधकों' को मुक्त करेगी सरकार

और अब वास्तव में कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा। पूरा एक माह बीत जाने के बावजूद निगम न तो मेडिकल कॉलेज को खुद चलाने का निर्णय ले पा रहा है और न ही इसे हरियाणा सरकार को सौंप रहा है। श्रम मन्त्री को इतनी 'फ़ुर्सत' कहां कि वे इस बीच उस नालायक डी जी का जवाबतलब कर लें।

मोदी-जेटली धारणा के चलते निगम फ़िलहाल तो अपने मेडिकल कॉलेजों को बंद करने की ही सोच रहा है। धीरे-धीरे वह चरणबद्ध तरीके से अपने तमाम अस्पतालों को भी कार्पोरेटों के हवाले करेगा। आज के दिन निगम के पास 30 हज़ार करोड़ की परिसम्पत्तियां व 40 हज़ार करोड़ नकद पैसा है। विदित है यह सारा पैसा सन् 1952 से लेकर आज तक औद्योगिक मज़दूरों से सामाजिक सुरक्षा के तहत बेहतर चिकित्सा व अन्य सुविधायें प्रदान करने के नाम पर विभिन्न केन्द्र सरकारों ने एकत्र किया है। जाहिर है, अब मोदी सरकार की गिद्ध दृष्टि मज़दूरों की इस धन-सम्पदा पर पड़ी है। यदि मज़दूर आंदोलन यूं ही मरा पड़ा रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पता चलेगा कि यह सारा माल सरकार एवं कार्पोरेट मिल कर हड़प चुके हैं।

जेटली द्वारा प्रयुक्त बंधक शब्द की व्याख्या भी इस संदर्भ में समझनी बहुत जरूरी है। मज़दूर से उसके वेतन का साढे 6 प्रतिशत वसूल कर सरकार ने उसे ई एस आई सी के खूंटे से तो बांध दिया, परन्तु उसके बीमार पड़ने पर सरकार का यह निगम हाथ झाड़ लेता है। मज़दूर ने क्योंकि अपने इलाज के लिये निगम को अग्रिम भुगतान कर रखा होता है इसलिये वह कहीं और से इलाज कराने की बजाय एक बंधे हुए पशु की तरह ई एस आई निगम रूपी खूंटे के चक्कर काटता करता है। निगम की कार्यशैली ठीक करने के बजाय मोदी-जेटली सरकार अब इस निगम को ही समाप्त करने की योजना बना रही है। उसके बाद मज़दूर वर्ग की जो दुर्दशा होने वाली है वह आज से भी भयंकर होगी।

यह मानसिकता आई कहां से!

'मज़दूर मोर्चा' के 16-28 फ़रवरी अंक में 'ई एस आई अस्पताल में मज़दूरों की आपराधिक दुर्गति' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें सौरभ कुमार नामक मज़दूर के कान का ऑपरेशन कराने की दुखद दास्तां बयान की गयी थी। रिपोर्ट में भूदेव नामक एक अस्पताल कर्मचारी का जिक्र आता है जिसने रात के समय किसी भी डॉक्टर या नर्स के उपलब्ध न होने पर सौरभ के बहते खून को रोकने का असफ़ल प्रयास किया था। भूदेव मात्र 10-11 हज़ार मासिक पर ठेकेदारी में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसकी वह ड्यूटी नहीं थी जो उसने मदद के नाते की।

लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसकी टिप्पणी थी कि इस तरह की खबरें छपने से क्या होता है? इन (ई एस आई मरीज़ों) की सुनता कौन है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, यदि ये किसी लायक होते तो यहां (ई एस आई अस्पताल में) क्यों आते, एस्कॉर्ट या मैट्रो जैसे किसी अस्पताल में न जाते।

गौरतलब है कि भूदेव खुद समाज के उपेक्षित वर्ग से आता है, फिर भी उसकी ऐसी मानसिकता बनी कैसे? जाहिर है ई एस आई अस्पताल के वातावरण तथा वहां के प्रबन्धकों की कार्यशैली और मरीज़ों के साथ उनके व्यवहार को देख-देख कर ही उसकी ऐसी सोच बनी होगी।

फ़ैक्ट्रियों के दूषित जल का आम जनता पर कहर

'जल ही जीवन है' और 'जीवन दायिनी नदियां' जैसी कहावतें बीते जमाने की बात हो गयी हैं। एक समय था , जब चरवाहे अपने पशु लेकर नदी किनारे चराने जाते थे। पशु नदी में पानी पीते थे। चरवाहे भी नदी किनारे रेत में चोवा खोदकर ताज़ा पानी पी लेते थे। नदियों का जल खेतों में खड़ी फसलों को अपने में समाहित खनिज तत्त्वों से भर देता था। आज यह सब सपना जैसा लगता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत, मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ़्फ़रनगर और गाजियाबाद में कृष्णा (काली) और हिंडन नदी में प्रवाहित फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल इस क्षेत्र की जनता के लिये अभिशाप बन गया है। इसके चलते भूजल इतना दूषित हो चुका है कि तालाबों और हैंडपम्प से निकलनेवाला पानी भी लोग़ों के लिए कैंसर, लकवा, हड्डियों का मुड़ जाना और मस्तिष्क रोग जैसी गम्भीर बीमारी का कारण बना हुआ है। भयानक बीमारियों से इस क्षेत्र के 154 गांव प्रभावित हैं। दूषित जल के कारण इन गांवों में अब तक 1000 लोग़ों की मौत हो चुकी है और 2500 से अधिक लोग गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। जहरीले पानी से होनेवाली बीमारियां नवजात शिशु से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, सभी को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं।

बागपत ज़िले के गांगनोली गांव में, पिछले दो सालों में 112 लोग़ों की कैंसर से मौत हो चुकी है और 47 लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस गांव की आठ साल की नेहा के पैरों की हड्डियां टेढ़ी और कमज़ोर हो गयी हैं, वह जैसे-तैसे खड़ी तो हो सकती है, लेकिन चल-फ़िर नहीं सकती। 48 साल के धर्मवीर पिछले तीन सालों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पूरे गांव में शायद ही कोई घर हो जहां कोई बीमार न हों। इस तरह फैक्ट्रियों से निकालनेवाला कचरा नदियों और भू-जल को जहरीला बना रहा है तथा हंसती-खेलती जिन्दगियों को अपाहिज कर रहा है। यही हालत दूसरे गांवों की भी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों के जल की जांच करवायी तो चौंकानेवाले परिणाम सामने आये। जहां पानी में हानिकारक पदार्थों की अधिकतम सीमा 200 मिलीग्राम प्रति लीटर हो सकती है वहां पानी में यह मात्रा 7500 मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी। सल्फ़ाइड की मात्रा जो 2 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए वह 285 मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी। आइरन की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के बजाय 38 मिलीग्राम प्रति लीटर पायी गयी। पारा और शीशे जैसे बेहद जहरीले तत्वों की मात्रा भी अत्यधिक पायी गयी।

कुछ दिनों पहले लोक विज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉ. अनिल गौतम ने हिंडन नदी पर शोध किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि नदी के पानी में हार्ड मेटल, क्रोमियन, जिंक, साइनियम, सिपरोनिल, डीसीवीबी समेत बड़ी संख्या में घातक रसायन बेहद खतरनाक स्थिति तक मौजूद हैं। इस शोध के मुताबिक, इन रसायनों की वजह से कैंसर, खुजली, टीबी, खुन की कमी, खसरा, वायरल, बुखार व अन्य दर्जनों बीमारियां तेज़ी से फ़ैल रही है।

हिंडन और कृष्णा (काली) नदी में विभिन्न तरह के हानिकारक रसायन होने की बजह गन्ना मिल और पेपर मिल सहित अन्य 42 फैक्ट्रियां हैं जो अपने दूषित कचरे को नदियों में ही बहा देती हैं। कानून तो किसी भी फैक्ट्री को कहीं भी दूषित जल प्रवाहित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फैक्ट्रियों के मालिक और सरकारी नियंत्रकों को सांठ-गांठ ने नदियों, तलाबों और इस पूरे क्षेत्र के भू-जल को जहरीला बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े के लालच में मुट्ठी-भर फैक्ट्री मालिकों ने क्षेत्र की 50 लाख से भी अधिक आबादी के लिए मौत का बंदो बस्त कर दिया है। दूसरी तरफ़ शासन-प्रशासन ने इसके ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम उठाने के बजाय खुद को जांच समितियों और लीपापोती तक सीमित कर लिया है। इस जन अपराध के असली दोषी फैक्ट्री मालिकों के इस रवैये से लगता है कि उनको पूरा विश्वास है की घन्नासेठों की रखैल इस व्यवस्था के रहते कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता।

इन नदियों के किनारे बसे ग्रामीणों को सरकार की तरफ़ से कोई उम्मीद की कीरण नज़र नहीं आ रही है। सरकारी कार्रवाइयों से निराश होकर उन्होंने गांव से पलायन शुरू कर दिया है। नदी किनारे बसे 50 से भी अधिक परिवार पलायन कर चुके हैं और 100 से भी ज़्यादा परिवार पलायन की तैयारी में हैं। लेकिन पलायन समस्या का न तो स्थायी समाधान है और न ही गरीब ग्रामवासियों के लिये यह सम्भव है। ऐसे में ज़्यादातर ग्रामीण अपनी आनेवाली मौत का बेबसी से इंतज़ार कर रहे हैं।

यह दुर्भाग्य ही है कि निर्मल जल वाली नदियों के तट पर बसे इस पूरे क्षेत्र के लिये आज वैकल्पिक पेय जल व्यवस्था और बीमार लोग़ों के लिये समुचित इलाज की मांग सर्वोपरि हो गयी है। नदियां दूषित होकर भू-जल और भूमि को जितना जहरीला बना चुकी हैं उसकी भारपाई तुरत-फ़ुरत में किया जाना फ़िलहाल दूर कि कौड़ी हैं। पैक्ट्रियों से निकालनेवाला कचरा नदियों में और अधिक न बहे, सरकार अगर यही सुनिश्चित कर दे, तो भी इस पूरे क्षेत्र को विनाश से बचाने के लिये कुछ किया जा सकता है।

वैसे इस समस्या के प्रति सरकार की बेरुखी से स्पष्ट ही है कि वह अपने आप कोई कड़े कदम उठाने नहीं जा रही है। ऐसे में जनता को खुद ही एकजुट होकर इसके ख़िलाफ आवाज़ उठानी होगी और अगर आज हमने इसमें जरा भी देरी की तो यकीनन 'कल बहुत देर हो जायेगी'।

-राजेश चौधरी

मज़दूर मोर्चा

नियमित रूप से हर माह की पहली व सोलह तारीख को प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से संपर्क करें। कोई दिक्कत होने पर फ़रीदाबाद के पाठक शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर तथा बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज़ एजेन्सी फोन नं 9811477204, करनाल के पाठक अशोक कुमार जैन, फुटवियर जवाहर मार्किट सदर बाजार से फोन नं 9896436739 पर सम्पर्क करें।

फरीदाबाद में अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीनल सैंटर केसी रोड, एनएच-5,
2. प्रिंट फोर्ट टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड,
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन,
4. रैंक, 45 नीलम चौक,
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे,
6. राम खिलावन बल्लभगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने,
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास ।
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207